पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
ई–मेलः investorsgrievance@pfcindia.com
वेबसाइटः www.pfcindia.com; सीआईएनः L65910DL1986GOI024862
टेलीफोनः +91 11 23456000, फैक्सः +91 11 23412545

आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण हेतु सूचना

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, अंकेक्षण, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है। उक्त नियम अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि जिन शेयरों के लाभांश का लगातार सात या उससे अधिक वर्ष से भुगतान नहीं किया गया है/या दावा नहीं किये गये हैं, उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है।

तदनुसार, नियमावली में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पतों पर व्यक्तिगत रूप से कंपनी द्वारा पत्र भेज दिए गए हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं क्योंकि वह अंतरिम लाभांश 2012–13 के बाद से लगातार दावा नही किये गये लाभांश राशि है। यदि शेयरधारक **25 मार्च, 2020** तक उपर्युक्त लाभांश का दावा करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी, शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत अपने अंतर्निहित इक्विटी शेयरों को उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी। कृपया नोट कर लें कि दावा नही किये गये लाभांश राशि और उक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट **www.pfcindia.com** पर ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का विवरण भी अपलोड किया है जिनका आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण किया जाना है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे गैर–नकदीकृत लाभांश का विवरण और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण किए जाने वाले शेयरों का विवरण सत्यापित करने के लिए वेब लिंक **https://www.pfcindia.com/Home/VS/170** को देखें।

सभी शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि दावा नही किये गये लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए गए शेयरों एवं उन शेयरों पर अर्जित सभी हितलाभ (यदि कोई हो) का पुनः दावा करने के लिए वे नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, कृपया कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट–**केफ़िन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited)** से निम्नलिखित पते/ईमेल/टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें:–

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएनःL65910DL1986GOI024862 पंजीकृत कार्यालयः ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत ई–मेलः investorsgrievance@pfcindia.com वेबसाइटः www.pfcindia.com टेलीफोनः +91 11 23456000, फैक्सः +91 11 23412545	**केफ़िन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्ववर्ती कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) यूनिटः पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31–32, गाचीबावली, फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद– 560 032 दूरभाषः 040 67162222, टोल फ्री नं: 1800–3454–001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता/–
सी.जी.एम. एवं कंपनी सचिव